न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 169/2021

आरसीएमएस नं. 2021/169

1. रामकिशोर पाण्डे पुत्र श्री हरीशंकर पाण्डे आयु 51 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राजेश कुमार पाण्डे पुत्र श्री हरीशंकर पाण्डे, आयु 51 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

--अपीलार्थी

बनाम

1. लीलावती धर्मपत्नी श्री हरीशंकर पाण्डे आयु 54 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 3 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

-- रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.08.2021

द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा, प्र. सं. 24/2021

अनवान रामकिशोर पाण्डे आदि बनाम लीलावती आदि

उपस्थितिः–

श्री लालचंद वर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी,

श्री विजय सिंह कड़वासरा अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 1

श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 07.07.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट जो कि परस्पर सगे भाई हैं ने अपनी सौतेली माता रेस्पो0 सं0 1 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 188 के अन्तर्गत पेश किया। वाद पत्र में कथन किया कि चक 6 बी.एच.डी. की कुल 2.037 है0 भूमि अपीलांट की दादी सुंदर देवी के नाम खातेदारी दर्ज थी। सुन्दर देवी की वसीयत के जरिये यह भूमि अपीलाण्ट के ताउ महावीर प्रसाद पुत्र बृजमोहन के नाम दर्ज हुई। अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के पिता श्री हरीशंकर की दो शादी हुई थी तथा पहली और श्रीमति कृष्णा देवी पाण्डे से अपीलांट उत्पन्न हुए हैं। अपीलांट की माता कृष्णा देवी के देहान्त के बाद अपीलाण्ट के पिता ने दूसरी शादी लीलावती से कर ली। वर्णित भूमि जद्दी जायदाद थी। उक्त भूमि को शामिल करते हुए अपीलांट व रेस्पोडेट संख्या 1 द्वारा संयुक्त परिवार के सदस्यों ने आपस में बैठकर दिनांक 17.04.2016 को पारिवारिक समझौता किया, जिसमें उक्त भूमि को अपीलाण्ट सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या को 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ। पारिवारिक समझौता होने के उपरान्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा की घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत किया साथ में धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र का प्रसतुत करने हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें उसने किसी प्रकार का पारिवारिक समझौता होने से इंकार किया एवं वसीयत के आधार पर स्वयं को प्रश्गनत भूमि में 1/2 हिस्सा प्राप्त होने के तथ्य से इंकार किया एवं वसीयत से प्राप्त भूमि को स्व अर्जित भूमि होना एवं अप्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया।

2. विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने पारिवारिक समझौता के निष्पादन से इंकार नहीं किया है बल्कि यह पारिवारिक समझौता के अपंजीकृत होने से साक्ष्य में ग्राह्य न होने की ही आपत्ति की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन किये किये कि उक्त सम्पति संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति थी तथा इस सम्पति को शामिल करते हुए अन्य सम्पतियों के सम्बन्ध में परिवार के सभी सदस्यों ने आपस में बठइकर पारिवारिक समझौता किया था तथा इसी पारिवारिक समझौता के अनतर्गत रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने प्रश्नगत भूमि में से 1/2 हिस्सा अपने पुत्रों अर्थात अपीलाण्ट को दिये जाने में सहमति दी थी। पारिवारिक समझौता को साक्ष्य में ग्राह्य न होने की अवधारण व्यक्त करते हुए अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। कानूनन संयुक्त परिवार की सम्पति का पारस्परिक सहमति से बंटवारा हो सकता है तथा ऐसी पारिवारिक सहमति किसी अपंजीकत दस्तावेज के जरिये भी हो सकती हैं। संयुक्त परिवार की सम्पति के विभाजन के रूप में निष्पादित पारिवारिक समझौता का पंजीकृत होना भी आवश्यक नहीं है। रेस्पो० सं० 1 जो इस पारिवारिक समझौता की निष्पादक व पक्षकार है को इस पारिवारिक समझौता के विपरीत कथन करने का अधिकार नहीं है बल्कि वह विधिअनुसार पूर्णतः विबंधित है। पारिवारिक समझौता में भादरा का एक रिहायशी मकान भी शामिल था इस रिहायशी मकान के सम्बन्ध में अपीलांट ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश भादरा के समक्ष वाद पेश किया है। इस वादपत्र में विचारण सिविल न्यायलाय ने यह अवधारणा पारित करते हुए कि अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना– स्वीकार फरमाया है कि पक्षकारों के बीच सम्पति बाबत समझौता हुआ तथा उसके उपरान्त पक्षकारों के बीच सम्पति बाबत विवाद है तो इस सटेज पर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश प्रदान नहीं किया जाता है तो इन इन संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता कि दावे की विषयवस्तु में किसी प्रकार परिवर्तन, परिवर्धन, हस्तान्तरण नहीं होगा। सिविल न्यायालय ने सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में माने हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन विधि विरूद्ध है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने क्थनों के समर्थन में 2019 (2) सीसीसी पेज 61, आरआरडी 14.09.2009 पेज 609, सीसीसी 2019 (2) पेज 800 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत महिला को कोई भी अधिकार या सम्पति वह चाहे

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किसी भी प्रकार अर्जित हो तो वह उसकी अनन्य व स्वअर्जित सम्पति होना कानूनन स्वीकार्य है ऐसे में प्रश्नगत भूमि सुन्दर की स्वअर्जित सम्पति थी जो उसने जरिये वसीयत महावीर प्रसाद पाण्डे को दे दी एवं महावीर प्रसाद पाण्डे ने यह भूमि जरिये वसीयत रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को दे दी। महावीर की मृत्यु के बाद लीलावती खातेदार हो गई इस भूमि को परिवार की या पुश्तैनी भूमि कहना बैमानी है इसलिए इनका दावा आधारहीन होने के कारण काबिल खारिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत लीलावती को मिली खातेदारी तथा कथित समझौता से ट्रान्सफर नहीं हुई है और उसके निहित अधिकार तथा किसी कथित समझौतानामा से कम नहीं हो सकते। क्योंकि इसमें अधिकार ट्रांसफर नहीं हुए हैं। तथा कथित समझौता आवश्यक स्टाम्प पेपर पर लिखकर रजिस्टर्ड नहीं करवाया है क्योंकि वर्णित सम्पति 100/– रूपये मूल्य से अधिक की होने के कारण रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 के तहत आवश्यक रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण उनका कथित समझौता साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2013 (2) पेज 1164, आरआरटी 2018 (2) पेज 780, डीएनजे 2021 (1) (रेव) पेज 323, आरआरटी 2019 (2) पेज 1118 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद एवं प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि जो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की खातेदारी है को पैतृक भूमि होने का कथन किया साथ ही कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि एवं अन्य सम्पतियों का दिनांक 17.04.2016 को पारिवारिक समझौता हुआ था जिसमें चक 6 बीएचडी की 2.37 है0 भूमि में अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्सा दिये जाने एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दिये जाने का समझौता हुआ था। इस समझौता के आधार पर उक्त भूमि की घोषणा करवाने का स्वयं को हकदार बताया है। विचारण न्यायालय ने अपीलधीन आदेश में पारिवारिक समझौता रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होना माना एवं अपीलाण्ट प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। अपील में अपीलाण्ट ने माननीय अपर जिला न्यायाधीश भादरा का विधि दीवानी वाद संख्या 6/2021 प्रस्तुत की है जिसमें माननीय सिविल न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य समझौता होन एवं सम्पति बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विवाद होने के संबंध में अपना विस्तृत विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 04.08.2021 में प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। इस निर्णय के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है। माननीय सिविल न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के संबंध में विवेचन किया जाना अपेक्षित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय के प्रतिप्रेषित किया जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2021 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/7/22
(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़